

कार्यालय श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक राजगढ जिला चरू

क्रमांक:- 736
श्रीमान पुलिस अधीक्षक,
जिला चरू।

दिनांक:- 15/2/2021

विषय:- परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार के संबंध में।
प्रसंग:- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं सीएम हैल्प लाईन न0 0221067942
0434 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि दिनांक 06.02.2021 के वक्त 01.53 ए 0एम0 पर श्री शीशराम हैड कानि0 2025 बहवाले रपट रवानगी संख्या 41 तारीख कल का गया हुआ वापिस आया व एक लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री रमेशचन्द्र पुत्र गोपीराम जाति स्वामी उम्र 57 साल निवासी जैतपुरा की श्रीमान वृताधिकारी श्री बृजमोहन असवाल आरपीएस राजगढ की पृष्ठांकनसुदा बदी मजमून सेवामे श्रीमान एसएचओ साहब पुलिस थाना हमीरवास विषय हत्याकाण्ड का मुकदमा दर्ज करवाने बाबत श्रीमानजी निवेदन है कि आज दिनांक 05.02.2021 को समय करीब 3.40 बजे मै व मेरा भतिजा पुष्पेन्द्र मेरे पुत्र प्रदीप के पास गांव ढाणी मौजी मे मिलने आये थे, जहां प्रदीप गांव ढाणी मौजी मे सुल्तान नाई के घर के आगे चबुतरा पर निहालसिंह पुत्र महासिंह जाति जाट, ईश्वर पुत्र अमरसिंह नाई व गांव के व्यक्तिगण निवासीगण ढाणी मौजी के पास बैठे हुए थे मै व पुष्पेन्द्र राजवीर पुनिया के घर के आगे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक एक DI JEEP (जीप), एक CD(सी.डी.), डीलेक्स मोटरसाइकिल व एक पल्सर मोटरसाइकिल पर बंशी बुरडक पुत्र छेलुराम जाट, सुमित उर्फ लोरिया, संदीप पुत्र बलवीर ढाका निवासीगण बैरासर बडा भागीरथ पुत्र राजकुमार नायक निवासी ईशरवाल, अशोक निवासी ईशरवाल, राजेश पुत्र मेवासिंह जाट निवासी ढाणी केहर तहसील लुहारू (हरियाणा) सन्दीप निवासी पटौदी, मोटिया काला जठेडी व तीन चार अन्य जिनकी शकल देखकर पहचान सकता हूं सभी के हाथों मे पिस्टल लिए हुए उतरे जिनमे से राजेश, सुनिल व अशोक ने मेरे पुत्र प्रदीप की तरफ फायर किये जो पास मे बैठे निहालसिंह व ईश्वरसिंह, द्वारकाप्रसाद गोस्वामी के हाथ मे लगी फिर प्रदीप चबुतरा के उठकर हमारी तरफ भागने लगा तो पिछे से सुनिल पटौदी ने गोली चलाई जो प्रदीप के लगी जिससे वह गिर गया जिस पर उक्त सभी बंशी, सुमित, संदीप, भागीरथ, अशोक, राजेश, संदीप, शेरा, काला जठेडी ने मेरे पुत्र प्रदीप के गिरे हुए के पास आकर उपर खड़े होकर पिस्टलों से ताबडतोड गोलिया चलाई जिससे प्रदीप व उक्त निहालसिंह, ईश्वरसिंह की मौका पर ही मौत हो गई उक्त मुल्जिमान मौका से हडबहाट मे भागने लगे व गांव के व्यक्ति आते दिखे तो उनकी एक मोटरसाइकिल पल्सर मौका पर ही रह गई जिस ईस मोटरसाइकिल पर आये शेरा, भागीरथ, व अशोक पैदल ही गांव से बीजावास के रास्ता पर भागने लगे व सुमित, सन्दीप, व डीलेक्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गये। बंशी बुरडक, राजेश ढाणी केहर, सुनिल पटौदी, काला जठेडी, DI गाडी मे चढकर भागे। गांव से निकलकर थोडा आगे रास्ता के पास गांव के व्यक्ति खड़े थे जिनकी तरफ DI जीप मे सवार व्यक्तियो ने गोली चलाई जो गांव ढाणी मौजी के संजय पुत्र लालचन्द पुनिया के पैर पर लगी मुल्जिमान मे से भाग रहे शेरा उर्फ मोटिया ने DI जीप मे भागते हुए चढने की कोशिश की तो उस DI मे सवार ने गोली मार दी व उसका पिस्टल छीन ले गया जिससे आगे भाग रहे, भागीरथ के DI गाडी की टक्कर लगी जिसे अस्पताल मे ले गये उक्त घटनाक्रम को अंजाम देते हुए मुल्जिमान मौका से भाग गये। उक्त घटनाक्रम की उक्त आरोपीगण में जैल मे बन्द सम्पत्त नेहरा कालोडी, लोरेन्स विश्नोई, मिन्दु मोडासिया व उनके साथी अक्षय पहाडी, देवन्द्र नुहन्द आदि ने षडयंत्र रचकर हत्या की है मेरा पुत्र प्रदीप हमारे गांव के अजय, जैतपुरा हत्याकाण्ड का मुख्य गवाह था


जिसको गवाही पलटने हेतु उक्त सभी धमकी देते रहते थे मेरे पुत्र को उक्त प्रकण का गवाह होने से पुलिस सुरक्षा गार्ड मिले हुए थे, जिनको तत्कालीन एडिशनल एसपी भरतराज व सुभाष एसएचओ हमीरवास ने आरोपी पक्ष से मिलकर सुरक्षा गार्ड गत माह हटवा दी थी जिसके चलते हुए यह घटनाक्रम हुआ है मेरे पुत्र प्रदीप के बारे में बलकेश झाझडिया, गुगन कुल्हरी पुछताछ करते रहते थे जिन्होंने ही मेरे पुत्र प्रदीप की पुक्ता मौजूदगी स्थल की जानकारी आरोपीगण को दी है जिन सबके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही करें। स्थानीय पुलिस पर हमें न्याय मिलने की संभावना नहीं है। जिस कारण प्रकण की जांच एसओजी से करवाई जाए। दिनांक 05.02.2021 एसडी प्रार्थी रमेशचन्द्र पुत्र गोपीराम जाति स्वामी निवासी जैतपुरा तहसील राजगढ़ चूरू मो. 8003778162 कार्यवाही पुलिस आज दिनांक 05.02.2021 के वक्त 11.55 पीएम पर रमेशचन्द्र पुत्र श्री गोपीराम जाति स्वामी उम्र 57 साल निवासी जैतपुरा पीएस हमीरवास बमुकाम घटनास्थल पर ढाणी मौजी में मन वृताधिकारी बृजमोहन असवाल आरपीएस राजगढ़ के उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पेश की व मजीद दरियाफत पर बताया कि मुल्जिमानो ने संजय पुत्र लालचन्द पुनिया वा द्वारका प्रसाद गोस्वामी पर भी भागते समय जान से मारने की नीयत से फायर किये जिससे उनके भी चोटें लगी है मजमून रिपोर्ट व मजीद दरियाफत से जुर्म धारा 302,307,147,148,149,120बी भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट का घटित होना पाया जाता है श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय चूरू के मौखिक आदेशानुसार मन वृताधिकारी राजगढ़ मशरूफ तफतीश हुआ। मूल रिपोर्ट वास्ते कायमी एफआईआर बदस्त श्री शीशराम हैड कानि 2025 पुलिस थाना हमीरवास भिजवाई जा रही है। परिवाद व मजमून पढकर सुनाया व सही माना एसडी रमेशचन्द्र एस डी बृजमोहन असवाल आरपीएस वृताधिकारी राजगढ़ लाकर पेश की मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 302,307,147,148, 149,120 बी भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट का घटित होना पाया जाने पर बजुर्म उपरोक्त में एफआईआर नं. 41/2021 दर्ज कर अनुसंधान मन बृजमोहन असवाल वृताधिकारी वृत राजगढ़ द्वारा पूर्व से जारी रखा गया।

तत्पश्चात अग्रीम अनुसंधान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ द्वारा शुरु किया जाकर मुस्तगीस एवं गवाहान से बयान लेखबद्ध किये। मृतक प्रदीप स्वामी, निहाल सिंह, ईश्वर सिंह, एवं आरोपी मृतक बलबीर सिंह उर्फ मणी चिमा उर्फ शोरा पाजी की पंचनामा की कार्यावाही पूर्ण कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया

अभियुक्तगण अभियुक्त 1. संदीप कुमार पुत्र बलबीर सिंह जाति जाट उम्र 19 साल निवासी बैरासर मझंला थाना राजगढ़ जिला चूरू, 2.अभियुक्त सोमवीर सिंह पुत्र श्री जुहांरा राम जाति जाट उम्र 40 साल निवासी खेरू छोटी पुलिस थाना हमीरवास, 3.अभियुक्त सोमवीर सिंह पुत्र श्री कर्ण सिंह जाति जाट उम्र 40 साल निवासी कालोद पुलिस थाना सिवानी जिला भिवानी (हरियाणा) एवं 4.अभियुक्त भागीरथ उर्फ मंगला पुत्र राजकुमार जाति नायक उम्र 24 साल निवासी ईशरवाल पुलिस थाना तोषाम जिला भिवानी, (हरियाणा) को गिरफ्तार कर अनुसंधान कर जे०सी० करवाया गया है। अभियोग में अन्य आरोपीगण की तलाश एवं अनुसंधान जारी हैं।

रिपोर्ट अवलोकनार्थ सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,


(बृजमोहन असवाल आरपीएस)
पुलिस उप अधीक्षक
राजगढ़, जिला चूरू